दो गज दूरी, मास्क जरूरी
सावधानी ही सुरक्षा

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप-3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांक : एफ 1(32)ग्रावि/नरेगा/बजट घोषणा/2021/Part-3 जयपुर दिनांक: - 9 APR 2021

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलेक्टर, समस्त।

विषय :— महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021—22 में 50 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले अकुशल श्रमिक परिवारों को औजारों की मरम्मत हेतु सहायता राशि देने बाबत।

प्रसंग :— बजट घोषणा वर्ष 2021—22।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2021—22 हेतु महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत निम्न बजट घोषणा की गई है —

"मनरेगा योजना के अकुशल श्रमिक परिवारों को अपने औजारों — गैंती, फावड़ा, तॅगारी आदि की मरम्मत के लिए प्रत्येक 50 दिनों का रोजगार पूरा करने पर आगामी वर्ष ₹50/- की सहायता राशि दी जायेगी। इस पर लगभग ₹30 करोड़ का व्यय होगा।"

राज्य में अकुशल श्रमिक कार्यस्थल पर स्वयं के औजार जैसे गैती, फावड़ा, तॅगारी, आदि लेकर आते है, जिनकी कुछ समय पश्चात् मरम्मत की आवश्यकता होती है। कई श्रमिक पैसे के अभाव में स्वयं के औजारों की मरम्मत नहीं करवा पाते है, जिससे श्रमिकों को अपना टास्क समय पर पूरा करने में अधिक परिश्रम व समय लगता है तथा कार्य की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है। महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यरत अकुशल श्रमिक परिवारों के औजारों की मरम्मत हेतु राज्य मद से सहायता मिलने पर श्रमिकों को अपना टास्क को पूरा करने में कम समय लगेगा तथा योजनान्तर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य सम्पादित हो सकेंगे।

उपरोक्त घोषणा के क्रम में वित्तीय वर्ष 2021—22 में महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत नियोजित अकुशल श्रमिक परिवारों को प्रत्येक 50 दिवस का रोजगार पूर्ण करने पर ₹50/- की राशि उनके औजारों की मरम्मत कराने हेतु दी जावे। इस प्रकार 100 दिवस पूर्ण करने वाले परिवारों को औजारों की मरम्मत हेतु पुनः ₹50/- की राशि देय होगी। इस राशि पर व्यय योजनान्तर्गत प्रशासनिक मद में अनुमत व्यय की सीमा में किया जावेगा। कार्यस्थल पर पानी पिलाने वाले तथा क्रेच कार्य पर नियोजित अकुशल श्रमिकों को औजार मरम्मत हेतु राशि देय नहीं होगी।

औजार मरम्मत की राशि का भुगतान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा MIS पर 50 दिवस पूर्ण करने वाले अकुशल श्रमिकों के लिए अलग से FTO जारी कर प्रशासनिक मद की राशि से भुगतान किया जावेगा। इसका अलग से हिसाब रखा जायेगा।

भवदीय,

(पी.सी. किशन)
शासन सचिव, ग्रावि
एवं आयुक्त ईजीएस

Scanned with CamScanner

दो गज दूरी, मास्क जरूरी
सावधानी ही सुरक्षा

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, ग्रावि एवं आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
4. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त।
5. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
6. अधीक्षण अभियंता, ईजीएस।
7. ए.सी.पी., ईजीएस को पत्र विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ कराने हेतु।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner